न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 85/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/101

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	श्री रोशन लाल खारौल पुत्र श्री रामलाल खारौल निवासी खारौल मोहल्ला सिदडीपास, भीलवाडा मैसर्स श्री देव नाश्ता सेन्टर, रातीतलाई, मेन रोड कस्टम चौराहा, बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 02–09–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रक़ार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **25–07–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **23–03–2024** को 11.10 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स श्री देव नाश्ता सेन्टर, रातीतलाई, मेन रोड कस्टम चौराहा, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री रोशन लाल खारौल पुत्र श्री रामलाल खारौल** उपस्थित थे। **विक्रेता की उपस्थिति में श्री देव नाश्ता सेन्टर, रातीतलाई, मेन रोड कस्टम चौराहा, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में **खाद्य पदार्थ बालु शहाई (मैदा, शक्कर, दही, मीठा सोडा एवं वनस्पती से निर्मित) स्टील के भगोने में 5 किलोग्राम** रखा पाया। जिसको एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक हुआ। शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खाद्य पदार्थ बालु शहाई (मैदा, शक्कर, दही, मीठा सोडा एवं वनस्पती से निर्मित) 2 किग्रा** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा उसकी कीमत 400/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ बालु शहाई (मैदा, शक्कर, दही, मीठा सोडा एवं वनस्पती से निर्मित) 2 किग्रा को 4 साफ सुखे व खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक की बोतलो में प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 40–40 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:09:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1777** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 181 दिनांक 18–04–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 396 दिनांक 04–04–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ बालु शहाई (मैदा, शक्कर, दही, मीठा सोडा एवं वनस्पती से निर्मित)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1777** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ बालु शहाई (मैदा, शक्कर, दही, मीठा सोडा एवं वनस्पती से निर्मित)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 30–07–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 02–09–2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:09:26 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 181 दिनांक 18–04–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 396 दिनांक 04–04–2024 अनुसार विक्रेता

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ बालु शहाई (मैदा, शक्कर, दही, मीठा सोडा एवं वनस्पती से निर्मित)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1777** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **खाद्य पदार्थ बालु शहाई (मैदा, शक्कर, दही, मीठा सोडा एवं वनस्पती से निर्मित)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री रोशन लाल खारौल पुत्र श्री रामलाल खारौल निवासी खारौल मोहल्ला सिदडीपास, भीलवाडा मैसर्स श्री देव नाश्ता सेन्टर, रातीतलाई, मेन रोड कस्टम चौराहा, बांसवाडा (राज.) को रूपये 2,000/– (अक्षरे रू दो हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 02–09–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:09:26 IST
Reason: SelfAttested